रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 120] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 18, 1987/फाल्गुन 27, 1908
No. 120] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 18, 1987/PHALGUNA 27, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1987

अधिसूचना

सं. 97/87-केन्द्रीय उत्पादशुल्क

सा. का. नि. 293 (अ):- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पादशुल्क, नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 63/87-केन्द्रीय उत्पादशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1987 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् ;

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम संख्या 02 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्तः-स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5
"02क	5903.21	निम्न-घनत्व वाले पालिएथिलीन की विनिर्मितियों से विलेपित या पटलित फ़ैब्रिक	कुछ नहीं	यदि आशय ऐसे फ़ैब्रिकों को प्लास्टिक से बुनी बोरियों के विनिर्माण के लिए उपयोग मे लाना हो और यदि ऐसा उपयोग उस कारखाने से भिन्न कही और किया जाता है, जहां ऐसे फ़ैब्रिकों का उत्पादन होता हो, तो उक्त नियमों के अध्याय 10 में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है"

[फा. सं. बी 14/2/87—टी आर यू]
सी. पी. श्रीवास्तव, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 18th March, 1987

NOTIFICATION

No. 97/87—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 293(E):— In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 63/87—Central Excises, dated the 1st March, 1987, namely —

In the Table annexed to the said notification, after S.No. 02 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5
"02A.	5903.21	Fabrics coated or laminated with preparations of low density polyethylene	Nil	If such fabrics are intended for use in the manufacture of plastic woven sacks and if such use is elsewhere than in the factory of production of such fabrics, the procedure set out in Chapter X of the said rules is followed.".

[F.No.B. 14/2/87—TRU]
C.P. SRIVASTAVA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987